

राजस्थान सरकार



Government of India

संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : 98/37/1994-95

प्रमाणित किया जाता है कि यदुवंशी विद्या विहार त्रिवा
एकिकी कौशिक जिला झुंझुनू का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 राजस्थान
अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।



यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से
आज दिनांक पच्चीस माह फरवरी सन् एक हजार
नौ (9) पिचान में दिया गया।

रजिस्ट्रार, झुंझुनू दिनांक 3/3/19
3 डिप्रा 74

रजिस्ट्रार संस्था

3
रजिस्ट्रार संस्था
संस्था, झुंझुनू